क्रम-संख्या–343

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2007

अग्रहायण 19, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2546/79–वि–1–07-1(क)49-2007
लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) जहां, या तो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भर्ती में, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां ऐसी भर्ती में उसके लिए आरक्षित रिक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों में से भरी जा सकती है, और जैसे ही यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए उपधारा (5) में, निर्दिष्ट रोस्टर में, निश्चित की गयी कोई रिक्ति होती है, तो यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के आरक्षण और उससे संबंधित और अनुषंगी विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात लायी गयी थी कि कतिपय भर्तियों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति जो उनके लिये आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए अर्ह हों, उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में कठिनाई हो जाती है। अतएव यह विनिश्चिय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि जहां किसी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो वहां ऐसी भर्ती में उसके लिए आरक्षित रिक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों में से भरी जा सकती है और जैसे ही यथास्थिति, अनुसूचित जातियों का अनुसूचित जनजातियों के लिए निश्चित कोई रिक्ति होती है तो यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के विरुद्ध समायोजित कर दिया जायेगा।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाई करनी आवश्यक थी। अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा

(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG–1

No. 2546/LXXIX–V–1–1(Ka)49-2007
Dated Lucknow, December 10, 2007

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyan Aur Anya Pichhara Vargon Ke liye Arakshan), (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 45 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 9, 2007.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 45 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 25, 2007.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1994

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes), Act, 1994 hereinafter referred to as the principal Act *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted,* namely:–

"(3) where a suitable candidate belonging to the Scheduled Tribes or Scheduled Castes, as the case may be, is not available in a recruitment either under sub-section (1) or sub-section (2) the vacancy reserved for him may be filled in such recruitment, from amongst the suitable candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, and as soon as a vacancy earmarked in the roster referred to in sub-section (5) for the Scheduled Castes or Schedule Tribes, as the case may be, arises such person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, shall be adjusted against such vacancy of his own category."

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 28 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994) has been enacted to provide for the reservation in public services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto. It had been brought to the notice of the State Government that in certain recruitments eligible persons belonging to the scheduled Tribes, for appointment to the posts reserved there for are not available. Similar is the case in respect of the persons belonging to Scheduled Castes. In such cases it becomes difficult to fill the vacancies reserved for the persons belonging to the Scheduled Tribes or the Scheduled Castes. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide that where a suitable candidate belonging to the Scheduled Tribes or Scheduled castes is not available in a recruitment the vacancy reserved for him may be filled in such recruitment from amongst the candidates belonging to the Scheduled castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, and as soon as a vacancy earmarked for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, arises such person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, shall be adjusted against such vacancy of his own category.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative- action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no 28 of 2007) was promulgated by the Governor on August 25, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 765 राजपत्र–(हि०)–(1858)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 385 सा० विधा०–(1859)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।